Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Supply Revision No.- 96/2022
Jyoti Devi .....Petitioner.
Versus
The State of Bihar & Ors.....Opposite Party.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	26.04.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षण अपील वाद समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पी0डी0एस0 अपील वाद संख्या–15/2019 में दिनांक 25.02.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–16327/2021 में दिनांक–09.03.2022 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। अभिलेख सुनवाई हेतु उपस्थापित। आवेदिका पुकार पर अनुपस्थित रहने के कारण विपक्षी सं0–01 को सुना। आवेदिका द्वारा अभिलेखबद्ध आवेदन के अनुसार अररिया जिला में जन वितरण प्रणाली के दुकानों के अनुज्ञप्ति के आवेदन हेतु बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में रिक्तियाँ आरक्षण प्रावधानों के आलोक में दिनांक–28.01.2018 को अधिसूचना प्रकाशित की गई तथा दिनांक–19.02.2018 तक सभी वांछित प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। दिनांक–17.02.2018 को बीबी शाहेदा प्रवीण ने अपना आवेदन औराही पूरब, ग्राम पंचायत में उचित मूल्य के दुकान के लिए समर्पित की परंतु समर्पित आवेदन में अनुसूची 1 का प्रयोग नहीं करके अनुसूची 2 का प्रयोग किया गया। उनके आवेदन में कम्प्यूटर ज्ञान के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गयी और न ही कम्प्यूटर प्रमाण पत्र लगाया गया। बिहार गजट(असाधारण) 14 मार्च 2016 में अनुसूची 2 का प्रयोग स्वयं सहायता समूह महिलाओं एवं पूर्व सैनिक की सहयोग के लिए था। आवेदन की जांच करने वाले पदाधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के चेक लिस्ट में बीबी शाहेदा प्रवीण के	

Web Copy. Not Official.

	लगातार **26.04.2023**	क्रमशः कम्प्यूटर योग्यता (ADCA) को दर्शाया गया। तत्पश्चात इनके द्वारा दिनांक 19.02.2018 को अपने आवेदन में अनुसूची 1 के प्रपत्र में सभी सही सूचनाओं को अंकित करते हुए कम्प्यूटर प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला चयन समिति के बैठक के बाद औपबंधिक सूची प्रकाशित की गयी। जिसमें आवेदिका का नाम औराही पूरब ग्राम पंचायत की रिक्ति के लिए चयनित किया गया। जिसमें अभ्युक्ति के माध्यम से अंकित किया गया है कि बीबी शाहेदा प्रवीण कम्प्यूटर ज्ञान प्राप्त है तथा प्रमाण पत्र संलग्न किया है। विदित है कि पूर्व में उसी औपबंधिक सूची में बीबी शाहेदा प्रवीण के आवेदन में कम्पयूटर प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण आवेदिका को प्राथमिकता दी गयी थी, जिसकी पुष्टि बीबी शाहेदा प्रवीण द्वारा समर्पित आवेदन के विहित प्रपत्र 1 अनुसूची के अवलोकन से किया जा सकता है। बीबी शाहेदा प्रवीण के कम्पयूटर शिक्षा प्रमाण पत्र दिनांक–30.01.2018 को निर्गत किया गया है, जो कि रिक्ति हेतु अधिसूचना की तिथि 28.01.2018 थी। अधिसूचना के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बीबी शाहेदा प्रवीण के लिए दिनांक–24.12.2018 को कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तीर्णता परीक्षा ली गई, जो पूर्णरूपेण अवैधानिक है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में कही भी कम्प्यूटर ज्ञान के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से कम्प्यूटर ज्ञान की परीक्षा लेना ही था उसमें आवेदिका को भी सम्मलित होने का अवसर देना चाहिए था। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधिक के दृष्टि से अनुचित है। विपक्षी सं0–01 बीबी शाहिदा प्रवीण के विपरीत आवेदिका द्वारा शुरूआत से ही आवेदन के साथ वांछित सभी कागजात के साथ अनुसूची 1 के विहित प्रपत्र का प्रयोग किया गया था, जो पात्रता में शर्त्तो के	

Web Copy. Not Official.

	लगातार **26.04.2023**	अनुरूप था। जिला चयन समिति द्वारा पक्षपात पूर्ण रवैया को क्रमशः अपनाते हुए निर्णय लिया गया जो विधिनुकूल नहीं है। इस प्रकार उक्त निर्णय से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–16317/2021 दायर किया गया। जिसमें मामले के निष्पादन हेतु श्रीमान के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर करने का निदेश प्राप्त हुआ। उक्त के आलोक में यह वाद दायर करते हुए बीबी शाहेदा प्रवीण के चयन को निरस्त करने का आवेदिका को अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–01 बीबी शाहेदा प्रवीण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद तथ्यों एवं विधि के दृष्टि से पोषणीय नहीं है। आवेदिका के द्वारा आपत्ति किया गया कि इनके द्वारा आवेदन में कम्प्यूटर प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया तथा विहित प्रपत्र का उपयोग नहीं किया गया, तथ्य बिल्कुल निराधार है क्योंकि इनके द्वारा आवेदन के साथ ही संबंधित सभी कागजातों एवं कम्प्यूटर प्रमाण पत्र के साथ–साथ अनुसूची 1 का विहित प्रपत्र में सभी तथ्यों को सही–सही भरकर समर्पित किया गया था। इनके द्वारा जाँच पदाधिकारी पर लगाया गया आपत्ति भी निराधार है क्योंकि जाँचोपरांत सभी प्रमाण पत्र एवं आवश्यक सूचना में शत–प्रतिशत सही पाया गया था। आवेदिका द्वारा चयन समिति द्वारा निर्गत औपबंधिक सूची को ही अंतिम मेधा सूची मान कर मनगढंत आपत्ति दर्ज किया गया, जो किसी भी परिस्थिति में स्वीकार योग्य नहीं हो सकता। चयन समिति द्वारा दिनांक–02.08.2018 को औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित करते हुए दिनांक–17.08.2018 को संख्या 05:00 बजे तक आपत्ति समर्पित करने का निदेश दिया गया था, जिसके आलोक में अंतिम तय सीमा से पूर्व ही आपत्ति समर्पित कर दिया गया था। इस प्रकार जिला चयन समिति द्वारा आवेदन के जाँचोपरांत बिहार लक्ष्यित सार्वजनकि वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के अनूकूल ही दिनांक– 24. 12.2018 को कम्प्यूटर जाँच परीक्षा आयोजित करते हुए चयन की	

Web Copy. Not Official.

	26.04.2023	प्रक्रिया संपन्न किया गया। आवेदिका द्वारा संबंधित चयन के विरोध में विद्वान जिला समाहर्त्ता, अररिया के समक्ष आपूर्ति अपील वाद क्रमशः सं0–15/2016 दायर किया गया, जिसमें विद्वान समाहर्त्ता सभी तथ्यों के जाँचोपरांत विभागीय निदेश के आलोक में ही अपील को खारिज किया गया, जो विधि के दृष्टिकोण से सर्वथा सही है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा आपत्ति पुनरीक्षण वाद का अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि जिला चयन समिति द्वारा बिहार लक्ष्यित सार्वजनकि वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के अनूकूल ही शाहेदा प्रवीण का चयन किया गया है, जो सही है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आवेदिका के पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारी को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy - Not Official.

Web Copy. Not Official.